# <u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> <u>जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 319 / 13

संस्थापन दिनांक : 13.06.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

#### बनाम

1—सुरेन्द्रसिंह पुत्र नवाबसिंह जाटव निवासी छरेटा थाना मौ जिला भिण्ड 2—ओमप्रकाश पुत्र रामसिंह जाटव छरेटा कॉलोनी थाना मौ जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

## निर्णय

( आज दिनांक......को घोषित)

- 1. उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग दो भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 01.06.13 को रात्रि 02:00 बजे छरेटा कॉलोनी मौ जिला भिण्ड पर फरियादी विद्याराम अ0सा01 को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया तथा विद्याराम अ0सा01 की सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा विद्याराम अ0सा01 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 31.05.13 को शाम के समय विद्याराम अ0सा01 रोज की तरह आम रास्ते पर लेटा था और सो रहा था रात्रि 2 बजे किसी व्यक्ति ने उसके सिराहने रखा कुर्ता जिसमें पैसे रखे थे खींचा तब वह जग गया उसने कारण पूछा तो सुरेन्द्र ने लाठी मारी जो दाहिने हाथ की कलाई में, बांये पैर की नरी में और बांये पैर के पंजे के नीचे तलवे में लगी। ओमप्रकाश ने लाठी मारी जो बांये हाथ की कलाई में लगी और खून निकलने लगा वह चिल्लाया तो उसका पुत्र बलवीर अ0सा04 और रामाधार अ0सा02 आ गये जिन्होंने फरियादी को बचाया तब आरोपीगण ने कहा कि आइन्दा

उसे जान से खत्म कर देंगे रात्रि होने से घटना के अगले दिन फरियादी विद्याराम अ0सा01 ने थाना मौ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर से आरोपीगण के विरुद्ध अप0क0 76/13 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अारोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार करते हुए प्रकरण में विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है।

प्रकरण के निराकरण हेत् निम्न विचारणीय प्रश्न है कि :–

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 01.06.13 को रात्रि 02:00 बजे छरेटा कॉलोनी मौ जिला भिण्ड पर फरियादी विद्याराम अ०सा01 को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर विद्याराम अ०सा०1 की सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर विद्याराम अ०सा०1 को संत्रास कारित करने के आशय से जाने से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

### //विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 का सकारण निष्कर्ष//

- 5. विद्याराम अ०सा०१ ने कथन किया है कि तीन वर्ष पूर्व वह अपने ह ार के दरवाजे पर सो रहा था तब रात्रि 12 बजे ओमप्रकाश ने उसके सिराहने रखा कुर्ता जिसमें तीन हजार रूपये थे, खींचा जिससे वह जग गया। सुरेन्द्र व ओमप्रकाश ने उसे लट्ड मारे जिससे उसके दाहिने पांव में और बांये हाथ में चोट लगी और खून निकल आया। वह चिल्लाया तो उसका बेटा बलवीर अ०सा०४ और रामाधार अ०सा०२ आ गये। आरोपीगण वहां से भाग गये ओमप्रकाश ने उसके उपर कट्टा चलाया था जो उसे नहीं लगा इस कारण बलवीर अ०सा०४ और रामाधार अ०सा०२ लौट गये। आरोपीगण ने कहा था कि वह उसे जान से मार देंगें छोड़ेंगे नहीं। उसने घटना की रिपोर्ट की थी और पुलिस 8–10 दिन बाद उसके घर आई थी और लिखापढ़ी की थी।
- 6. रामाधार अ०सा०२ ने कथन किया है कि दिनांक 31.05.13 को जब विद्याराम अ०सा०१ घर के दरवाजे पर सो रहे थे तब वह अपने दरवाजे पर सो रहा था जब उसके पिता विद्याराम अ०सा०१ चिल्लाये तब उसे आवाज आई। रात के 2 बजे आरोपीगण सुरेन्द्र व ओमप्रकाश विद्याराम अ०सा०१ को बिना बात के मार रहे थे। सुरेन्द्र ने विद्याराम अ०सा०१ के दाहिने हाथ के अग्रभुजा में लाठी मारी जिससे खून निकल आया और सुरेन्द्र ने हाथ में लाठी मारी जब वह निकला तो आरोपीगण गाली देकर भाग गये।
- 7. बलवीर अ0सा04 ने कथन किया है कि दिनांक 31.05.13 को रात 2 बजे जब वह घर के अंदर सो रहा था और उसके पिता विद्याराम अ0सा01 घर के बाहर लेटे थे तब आरोपीगण ने उसके पिता की मारपीट की।

उसके पिता के बांये हाथ व एक पैर में लगी थी। वह निकल कर आया तो आरोपीगण भाग गये उन्होंने पीछा करने की कोशिश की तो आरोपीगण ने गोली चलाई। घटना किस कारण हुई उसे नहीं मालूम।

साक्षी डॉ० आर०विमलेश अ०सा०३ ने कथन किया है कि वह दिनांक 01.06.13 को सी.एच.सी. मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को आरक्षक 774 रामसेवक थाना मौ द्वारा लाये जाने पर उसने आहत विद्याराम अ०सा०१ पुत्र रामिसंह का चिकित्सीय परीक्षक्षण करने पर आहत के चोट नं01 खरोंच 3.1गुणा१/2से.मी. दाहिनी भुजा पर तथा चोट नं02 खरोंच 3.3गुणा१/2से.मी.बांयी भुजा पर तथा चोट नं03 नील निशान 2.2से.मी.गुणा१से.मी. दांये पैर के पंजे पर तथा चोट नं04 नील निशान 3.2गुणा१.2से.मी. बांये टखने के जोड़ पर पायी थी। उसके मतानुसार उक्त समस्त चोटें सख्त एवं कुंद वस्तु द्वारा आई हुई प्रतीत होती थी जो उसके परीक्षण से 12 घण्टे की अवधि की होकर साधारण प्रकृति की थी। उसके द्वारा तैयार रिपोर्ट प्र०पी—1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

विद्याराम अ०सा०१ ने पैरा २ में स्वीकार किया है उसने व आरोपी ओमप्रकाश के पिता रामसिंह ने डी.पी. रखने के लिए विद्युत विभाग में धनराशि 🐠 दी थी जिसमें उसने बीस हजार रूपये का योगदान किया था लेकिन रामसिंह ने बेईमानी कर ली इस कारण उसकी व रामसिंह के परिवार के बीच दश्मनी हो गयी थी। रंजिश होने के तथ्य को पैरा 5 में भी स्वीकार किया है। रामाधार अ०सा०२ ने भी पैरा ४ में स्वीकार किया है कि उसके पिता से आरोपी ओमप्रकाश के पिता ने डी.पी. रखवाने के लिए धनराशि ली थी और इसी झगड़े के पीछे उसके पिता व ओमप्रकाश के बीच रंजिश चली आ रही है। ओमप्रकाश विद्याराम अ०सा०१ को डी.पी. पर तार डालने नहीं देता है। बलवीर अ0सा04 ने भी पैरा 2 में स्वीकार किया है कि उसके पिता ने डी.पी. के कनेक्शन हेत् बीस हजार रूपये ओमप्रकाश के भाई महेश को दिए थे और ओमप्रकाश का डी.पी. से कनेक्शन हो गया लेकिन उसके पिता का नहीं हो पाया जिस कारण विवाद हुआ था। अतः फरियादी व उसके पुत्र ने आरोपी ओमप्रकाश व उसके पिता से पूर्व से रंजिश होना स्वीकार की है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत 2014 CRI. L. J. 1597 Deo Narain Mahto v. State of Bihar and others. में प्रतिपादित किया गया है कि Enmity is a double edged sword. It may be a motive for false implication while it may be a motive for commission of offence and that has to be adjudged on the basis of the evidence so produced during trial. अतः पूर्व की रंजिश के आधार पर अगर मिथ्या फर्साये जाने की संभावना है तो आरोपीगण को अपराध कारित करने का उददेश्य भी प्रदान करती है। उक्त दोनों तथ्यों का मूल्यांकन साक्ष्य के आधार पर ही किया जा सकता है।

10. विद्याराम अ०सा०१ ने पैरा 3 में कथन किया है कि उसके मकान के सामने उत्तम, बालाराम व ओमप्रकाश के मकान हैं और घटना वाले दिन बाहर प्रकाश नहीं था अंधेरे में जब वह जागा तब उसे लाठी मारी जिससे खून

निकल आया। । रामाधार अ०सा०२ ने भी पैरा २ में कथन किया है कि घटना के समय लाइट थी या नहीं वह नहीं बता सकता। अतः अभियोजित घटना रात्रि के समय की है जहां पर प्रकाश नहीं था। परन्तु आरोपीगण व फिरयादी पूर्व से पिरिचित हैं जिससे फिरयादी द्वारा आरोपीगण को पहचानने की संभावना प्रबल हो जाती है और चेहरा देखने लायक रोशनी भी नहीं थी। इस संबंध में स्पष्ट सुझाव नहीं दिए गए हैं अतः मात्र रात्रि होने से व घटनास्थल पर अंधेरा होने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि आरोपीगण को फिरयादी ने नहीं पहचाना होगा जबिक आरोपीगण से फिरयादी पूर्व से पिरिचित था और अभियोजित घटना फिरयादी के निकट आकर कारित की गयी है।

- 11. विद्याराम अ०सा०१ ने पैरा 3 में कथन किया है कि घटना रात्रि 12 बजे की थी लेकिन अभियोजन मामले में घटना रात्रि के 2 बजे की है और समय रात्रि के लगभग 2 बजे का लिखा हुआ है। अतः मात्र दो घण्टे का विरोधाभास है जोकि तात्विक नहीं है और स्वयं बचाव पक्ष द्वारा उक्त विरोधाभास का लाभ लेकर साक्षी का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं किया गया है अतः तर्क के चरण पर उक्त तथ्य को तात्विक विरोधाभास के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- 12. विद्याराम अ०सा०१ ने पैरा 3 में बताया है कि उसके खून निकल रहा था। जबिक चिकित्सक द्वारा आहत के खून निकलने का उल्लेख नहीं किया है। अतः इस संबंध में विरोधाभास है कि रक्तस्त्राव चोट लगने के उपंरात की स्थिति है और इस संबंध में चिकित्सक से प्रतिपरीक्षण में कोई स्पष्ट प्रश्न नहीं पूछा गया है कि आहत के रक्तस्त्राव हो रहा था या नहीं। अतः स्पष्टीकरण के अवसर के अभाव में उक्त तथ्य को तात्विक लोप की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है।
- 3. विद्याराम अ०सा०१ ने पैरा 4 में कथन किया है कि उन्होंने रात में रिपोर्ट करने का विचार नहीं किया और सुबह मोटरसाइकिल से रिपोर्ट करने गये थे। रामाधार अ०सा०२ ने भी पैरा 3 में स्वीकार किया है कि उसने व उसके पिता व हेमसिंह ने सलाह करके सुबह रिपोर्ट की थी। अभियोजन मामले में रात्रि 2 बजे की घटना है और प्रातः 10:40 बजे एफ.आई.आर. पंजीबद्ध की गयी है और घटनास्थल से थाने की दूरी 16 कि०मी० अंकित है और फरियादी की आयु 60 वर्ष है। अतः जबिक घटना रात्रि की है और थाना दूरस्थ स्थान पर है और फरियादी वृद्ध है और उसे कोई गंभीर चोट नहीं है तब रात्रि में रिपोर्ट न लिखाकर सुबह रिपोर्ट लिखाया जाना तात्विक विलम्ब की श्रेणी में नहीं आता है और मात्र इस आधार से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि पश्चातवर्ती सोच के आधार पर सुधारकर रिपोर्ट लिखवाई गयी है क्योंकि रिपोर्ट में उल्लिखित संपूर्ण तथ्यों का न्यायालयीन साक्ष्य में विद्याराम अ०सा०१ ने कथन किया है।
- 14. विद्याराम अ0सा01 ने पैरा 5 में स्वीकार किया है कि उसने रिपोर्ट प्र0पी—1, कथन प्र0डी—1 में ओमप्रकाश द्वारा कट्टा या बंदूक से फायर करने वाली बात लिखवा दी थी। रामाधार अ0सा02 ने भी पैरा 3 में और बलवीर

अ०सा०४ ने पैरा ४ में कटटे से फायर करने वाली बात कथन प्र०डी-2 में लिखवाना स्वीकार किया है। लेकिन उक्त तीनों ही साक्षीगण के कथन में कटटे से फायर किए जाने का लोप है और प्रथम बार न्यायालयीन साक्ष्य में उक्त तीनों साक्षीगण ने आरोपी द्वारा कट्टे से फायर करना बताया है जिसका लोप उनके द्वारा दिए गए पुलिस कथन में है। अतः धारा 161 द.प्र.स. के अधीन दिए कथन में लीप होना स्पष्ट हुआ है। परन्तु उक्त लोप तात्विक है अथवा नहीं यह संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना के आधार पर ही निराकृत हो सकता है। वर्तमान मामले में विद्याराम अ०सा०1 और रामाधार अ०सा०2 ने यह बताया है कि ओमप्रकाश ने कट्टा चलाया था जो भागते समय चलाया था। अतः कट्टे का उपयोग घटना कारित करने में नहीं किया गया है। इसलिए आयुध तात्विक नहीं है और विद्याराम अ०सा०1 ने पैरा 3 में बताया है कि कट्टा भी हो सकता है आर बंदूक भी हो सकती है और उसने आंखों से हथियार नहीं देखा था। अतः विद्याराम अ०सा०१ ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया ्रहै कि उसने आरोपी को कट्टा चलाते हुए देख लिया था। रामाधार अ०सा०२ ने पैरा 2 में बताया है कि जब वह पीछा कर रहा था तब कट्टे से एक फीयर किया था। अतः उसके समक्ष भी घटना के समय कटटे का उपहति कारित करने में प्रयोग नहीं किया गया है। बलवीर अ0सा04 ने भी पैरा 4 में बताया है कि उसने आरोपीगण को स्वयं फायर करते हुए नहीं देखा था उसके पिता ने कट्टे से फायर करना बताया था। अतः कट्टे से फायर किया जाना बलवीर अ0सा04 ने भी स्थिर साक्ष्य से स्वयं के समक्ष किया जाना नहीं बताया है। अतः जबिक कटटे का उपयोग घटना में नहीं किया गया है और फरियादी विद्याराम अ०सा०१ और बलवीर अ०सा०४ ने कटटा नहीं देखा है और भागने के प्रयोजन से कटटे का प्रयोग किया गया है तब कटटे के बारे में पुलिस कथन में लोप तात्विक विरोधाभास की श्रेणी में नहीं आता है और मात्र इस लोप के आधार पर उनकी संपूर्ण न्यायालयीन साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

- 15. विद्याराम अ०सा०१ ने पैरा ४ में बताया है कि उसने कथन प्र०डी–1 में तीन हजार रूपये रखे होने वाली बात लिखाई थी लेकिन कथन प्र०डी–1 में उक्त तथ्य का लोप है। बलवीर अ०सा०४ ने पैरा 3 बताया है कि उसके पिता के पास रात में तीन–साढे तीन हजार रूपये थे जो वह हमेशा ही अपने पास रखते थे। घटना का उद्देश्य चोरी कारित करने का नहीं है। अतः उक्त लोप भी वर्तमान विचारणीय प्रश्न हेत् तात्विक नहीं रहता है।
- 16. रामाधार अ०सा०२ ने पैरा २ में बताया है कि विद्याराम अ०सा०1 उसके छोटे भाई के साथ रहते हैं उसका व छोटे भाई का मकान अलग—अलग है और रात में उसके मकान से विद्याराम अ०सा०1 के मकान का दरवाजा नहीं दिखता है। परन्तु इस साक्षी ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि चिल्लाने की आवाज पर वह पहुंचा था। बलवीर अ०सा०४ ने भी पैरा 3 में बताया है कि दूसरे गेट पर रामाधार अ०सा०२ सो रहा था और पिता के चिल्लाने पर रामाधार अ०सा०२ पहले घटनास्थल पर पहुंचा था फिर बाद में वह पहुंचा था। अतः अगर रामाधार अ०सा०२ को घटनास्थल सहज रूप से

6

रात्रि में दृश्यमान नहीं है तब भी आवाज सुनकर समीप ही स्थित घटनास्थल पर पहुंचना अस्वाभाविक नहीं है।

- 17. रामाधार अ०सा०२ ने पैरा 3 में बताया है कि घटना के बाद गांव के अन्य लोग आ गये थे जिनके नाम उसने पुलिस को बता दिए थे। रामाधार अ०सा०२ ने स्वयं घटनास्थल पर चिल्लाने के बाद पहुंचना बताया है। विद्याराम अ०सा०१ ने भी घटनास्थल पर अकेला होना बताया है। घटना का समय रात्रि के 12 बजे का है इसलिए सामान्य जन का उपस्थित होना स्वाभाविक भी नहीं है। अतः घटना के बाद आये व्यक्तियों की जानकारी दिया जाना सुसंगत नहीं है और घटना के स्वतंत्र साक्ष्य का अभाव भी अस्वाभाविक नहीं है।
- 18. बलवीर अ०सा०४ ने पैरा ४ में बताया है कि उसके पिता को कितनी लाठियां लगी वह नहीं बता सकता और किस आरोपीगण ने कितनी लाठियां मारी वह यह भी नहीं बता सकता क्योंकि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। अतः बलवीर अ०सा०४ के कथन से वह घटना का प्रत्यक्ष साक्षी होना स्पष्ट नहीं होता है। परन्तु घटना के बाद उसने आरोपीगण को भागते हुए देखा था इसलिए धारा 7 साक्ष्य अधिनियम के अधीन आरोपीगण की उपस्थिति घाटनास्थल पर प्रमाणित करने हेतु उसके कथन सुसंगत हैं।
- 9. अतः विद्याराम अ०सा०1 व रामाधार अ०सा०2 के कथन घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रतिपरीक्षण में दिए कथन के आलोक में भी विश्वसनीय प्रतीत हुए हैं, जिन पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं हुआ है। विद्याराम अ०सा०1 द्वारा विश्वसनीय साक्ष्य से सिद्ध किया गया है कि उसे आरोपीगण ने मारा है और रंजिश के आधार पर मिथ्या फंसाये जाने का कोई कारण भी परिलक्षित नहीं हुआ है अपितु वह घटना का कारण होना ही स्पष्ट हुआ है। रामाधार अ०सा०2 ने भी विद्याराम अ०सा०1 के कथन का समर्थन किया है और उपहित की संपुष्टि डॉ० आर०विमलेश के कथन से भी हुई है। मामले में स्वतंत्र साक्ष्य का अभाव भी रात्रि की घटना होने से स्वाभाविक है। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे स्पष्ट करने में सफल रहा है।
- 20. अतः यह युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध होता है कि आरोपीगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में विद्याराम अ0सा01 को स्वेच्छया उपहति कारित की।

## //विचारणीय प्रश्न कमांक ०१ व ०३ का सकारण निष्कर्ष//

21. विद्याराम अ०सा०१ ने यह कथन नहीं किया है कि आरोपीगण ने अश्लील गालियां दी हों अथवा जान से मारने की धमकी दी हो। ना ही इस आशय का तथ्य रामाधार अ०सा०२ ने बताया है कि आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी हो। रामाधार अ०सा०२ ने यह भी कथन नहीं किया है कि आरोपीगण ने जो गालियां दी वह अश्लील थी। बलवीर अ०सा०४ घटना का

प्रत्यक्ष साक्षी होना उपरोक्त विवेचना अनुसार स्पष्ट नहीं हुआ है। अतः अभियोजन साक्ष्य के अभाव में यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने विद्याराम अ०सा०१ को लोक स्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया अथवा आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- 22. परिणामतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना के आधार पर आरोपीगण को धारा 323/34 भा.द.स. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है व धारा 294, 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 23. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया गया। आरोपीगण ने पूर्व की रंजिश के आधार पर विधिक प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए अपराध घटित किया है। अतः उनका आचरण ऐसा नहीं है कि उन्हें परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाये। अतः आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है।
- 24,💉 🧥 प्रकरण दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु कुछ देर बाद पेश हो।

सही / –
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

#### पुनश्च:

- 25. आरोपीगण के अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। उनके द्वारा आरोपीगण को न्यूनतम सजा दिए जाने का निवेदन किया गया है और निवेदन किया गया है कि यह आरोपीगण का प्रथम अपराध है।
- 26. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आहत विद्याराम अ०सा०१ को चार खरोंच हैं जो गंभीर चोट नहीं है। अतः प्रत्येक आरोपी को धारा 323/34 भा.द.स. के आरोप में एक हजार रूपये के अर्थदण्ड व न्याायलय उठने तक के कारावास से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड जमा किए जाने के व्यतिक्रम की दशा में सात दिवस का कारावास भुगताया जाये।
- 27. धारा 357 द.प्र.स. के अधीन अर्थदण्ड में से एक हजार रूपये क्षितिपूर्ति राशि विद्याराम अ०सा०१ अपील अविध पश्चात संदाय की जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।
- 28. प्रकरण में जप्त दो लाठी मूल्यहीन होने से अपील अविध पश्चात नष्ट की जायें और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / –
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0